

१६. 12.2023—पत्रावली पेशी मे आई। वकील वादी
अनुपस्थित। वादी व वादी अधिवक्ता को
बार-बार आवाज लगाई गई। आवाज लगाने के
उपरान्त भी असालतन/वकालतन उपस्थित नहीं
आये। वादी व उसके अधिवक्ता के उपस्थित
नहीं आने के कारण वादपत्र वादी अदम
पैरवी/अदम हाजरी में खारिज किया जाता है।
पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद तकमील
दाखिल दफतर हो।



सहायक क्लर्क
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ़

